


दिनांक

आज्ञा पत्र

19.9.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को वार वार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल ७ बजे तक वार वार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर

